न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस

अपील सं0 2017/00318 (375/2017) 225 आरटीएक्ट

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीदार (राजस्व) कोलायत जिला बीकानेर (राज0)
–अपीलाण्ट

बनाम

1. श्योपतराम पुत्र हरचन्द
2. हनुमान पुत्र. हरचन्द
3. विनोद पुत्र हरचन्द
4. इन्द्रजीत पुत्र हरचन्द
5. विकलेश पुत्र विजय पाल
6. मांगीलाल पुत्र रतीराम
7. राकेश कुमार पुत्र रतीराम
8. हरचन्द पुत्र भीयांराम
9. गोपीराम पुत्र भीयांराम
10. गंवरा देवी पत्नी बीरबलराम पुत्री भीयांराम
11. सुगना देवी पत्नी बीरबलराम पुत्री भीयांराम
12. पार्वती पत्नी बनवारीलाल पुत्री भीयांराम
13. सांवरी पत्नी रामस्वरूप पुत्री भीयांराम
14. विद्यादेवी पत्नी पालाराम पुत्री भीयांराम
15. सरस्वती देवी पत्नी रतीराम
16. निर्मला पत्नी सुभाष पुत्री रामलाल
17. सुमन पत्नी सुनील पुत्री रतीराम
18. मधु पत्नी सतपाल पुत्री रतीराम

जाति बिश्नोई निवासी थिराजवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

19. शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे बैंक शाखा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) कोलायत जिला बीकानेर।
–रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.06.2016 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा प्र0 सं0 92/2016 बअनवानी श्योपत आदि बनाम हरचन्द आदि

उपस्थितः–
श्री खुशकरण सिह खोसा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री अजय सिंह चौहान अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांकः– 15.11.2019

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 7 ने सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष एक दावा 88 आरटीएक्ट में प्रस्तुत किया जिसमें तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ एवं तहसील कोलायत जिला बीकानेर में दो गावों में स्थिति कुल 221.19 बीघा भूमि को संयुक्त हिन्दू खानदान की कृषि भूमि बताया, जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा बताते हुए वाद पत्र में वर्णिता नुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 11 ने राजीनामा प्रस्तुत किया प्रतिवादी संख्या 2 ने वाद पत्र के तथ्यों स्वीकार किया जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने वाद वादी डिक्री जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारणीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश व डिक्री कतई गलत, विधि विरूद्ध व न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है। सहायक कलक्टर महोदय पीलीबंगा द्वारा तहसील कोलायत जिला बीकानेर के गांव खारियाबास के खाता संख्या 49/42 व गांव खारिया मनीनाथ के खाता संख्या 68/70 की आराजी की घोषणा अपीलाधीन निर्णय के द्वारा की गई है जबकि विचारणीय न्यायालय को तहसील कोलायत की कृषि भूमि बाबत निर्णय करने का किसी भी प्रकार से क्षेत्राधिकार नहीं है तथा क्षेत्राधिकार के अभाव में विचारणीय न्यायालय का निर्णय शून्य है। अपीलाण्ट जैरकार वाद में प्रतिवादी संख्या 14 पक्षकार है परन्तु अपीलाण्ट द्वारा किसी भी प्रकार का जवाब पेश किये बिना वाद प्रस्तुत होने के मात्र 20 दिन बाद अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो आनन फानन में जल्दबाजी में पारित किया गया है। अपीलाण्ट बतौर भू–धारक विचारणीय न्यायालय के समक्ष पक्षकार था तथा भू–धारक को सुने बिना किसी भी प्रकार का निर्णय पारित किया जाता है तो वह विधि के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी साक्ष्य करवाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट को सुने बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिससे अपीलाण्ट के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें।
4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट को नोटिस जारी किये गये थे लेकिन वे जानबूझ कर उपस्थित नहीं आये। प्रश्नगत

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

भूमि एक ही परिवार की संयुक्त खानदान की पुस्तैनी भूमि है दो जिलों में स्थित है। दो जिलों या एक से अधिक स्थान पर भूमि का विवाद में एक ही पक्षकार से संबंधित हो तो उसका निर्णय किसी भी एक पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जा सकता है। अपीलाण्ट को सम्मन भेजा गया था मगर उसके द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया जिसके कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है जो विधि सम्मत है। अपीलाण्ट ने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है विलम्ब का कोई कारण कथित नहीं किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने धारा 17 सीपीसी एवं धारा 92 आरटीएक्ट के दृष्टान्त प्रदर्शित किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट के धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों के कारण एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अधिनस्थ न्यायालय में घोषणा का वाद पेश किया गया था। जिसमें प्रश्नगत भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 14 एलजीडब्ल्यू व 16 एलजीडब्ल्यू व तहसील कोलायत के गांव खारिया बास व तहसील कोलायत के ही खारीया मनीनाथ में स्थित है। प्रश्नगत भूमि दो जिलों में स्थित है, दोनों जिलों में भू–धारक अलग अलग हैं। दो जिलों में स्थित भूमि के सम्बन्ध में वाद उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के समक्ष पेश किया गया है, जो स्वीकार किया गया है। हमारे मतानुसार उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा को बीकानेर क्षेत्र की भूमि के संदर्भ में आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अपीलाण्ट प्रकरण में बतौर भू धारक विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार था। जिसे सुना जाना आवश्यक था। यदि अपीलाण्ट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया जाता तो वह अपने कथन अधीनस्थ न्यायालय में कर सकता था लेकिन वह अपने कथन अधिनस्थ न्यायालय में करने से वंचित रह गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने भू धारक को बिना सुने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा को बीकानेर क्षेत्र की भूमि के संदर्भ में आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार अधिकार नहीं होने के कारण खारिज किया जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा द्वारा प्र. सं. 92/2016 बअनवानी श्योपत आदि बनाम हरचन्द आदि में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.06.2016

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निरस्त किया जाता हैं । पत्रावली निर्णित शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 15.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

(आशाराम डूडी आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2019.12.04 12:42:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: